बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

शुद्धि पत्र

विज्ञापन सं०–03/2019–16/2019

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा CIVIL APPEAL NO- 9482 [Arising out of Special Leave Petition (Civil) No-12245/2017] में दिनांक–17.12.2019 को पारित आदेश के आलोक में स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–87(2), दिनांक–22.01.2020 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या–03/2019–16/2019 की कंडिका–9 (iii) एवं 10(iii) में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:–

1. वैसे चिकित्सा पदाधिकारी जो बिहार राज्य के अन्तर्गत किसी भी गैर–निजी अस्पतालों अथवा उपक्रम यथा केन्द्र सरकार, नगर पालिका, पंचायती राज्य संस्थानों एवं अन्य लोक संस्थानों, सैनिक अस्पतालों में काम कर रहें हो या कर चुके हों तो उन्हें भी बिहार सरकार के सरकारी अस्पतालों में नियमित/अनुबंध के आधार पर कार्य करने के उपरांत कार्य अनुभव प्राप्त करने वाले चिकित्सकों की भाँति ही सामान्य रूप से प्राप्तांक दिया जायेगा।
2. उक्त प्रसंग में वैसे अभ्यर्थी जो उक्त विज्ञापन के अन्तर्गत आवेदन नहीं कर पाये हैं, वे दिनांक–18.02.2020 से 28.02.2020 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
3. जो अभ्यर्थी पूर्व में ऑनलाईन आवेदन कर चूके हैं, उन्हें दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है।
4. जो अभ्यर्थी पूर्व में ऑनलाईन आवेदन करते समय उक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये हैं, उन्हें उक्त अवधि में Modification करने का मौका दिया जा रहा है। तद्नुसार उक्त कंडिका–1 में वर्णित अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी अथवा सक्षम पदाधिकारी के स्तर से निर्गत कार्यानुभव, प्रमाण–पत्र संलग्न करेंगे।

उक्त विज्ञापन संख्या–03/2019–16/2019 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

14.2.2020

उप सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
पटना।